अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

सं. 11034/06/2025-राजभाषा(नीति)

दिनांक : 15 जुलाई, 2025

आदरणीय सहोदय / सहोदया

आप जानते ही हैं कि संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ से यह अपेक्षा की गई है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन संविधान की भाषाई समरसता की भावना के अनुरूप किया जा रहा है।

2. माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी दिवस-2024 एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन भारत मंडपम्, नई दिल्ली में किया गया था। दो दिवसीय इस महाकुंभ में देश भर के आठ हजार से अधिक हिंदी प्रेमियों और हिंदी सेवियों ने प्रतिभागिता की। पिछले वर्षों की भाँति इस वर्ष भी हिंदी दिवस एवं 5वे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन अत्यंत भव्य एवं गरिमामयी रूप में किया जाएगा। **माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में 14 सितंबर, 2025 को हिंदी दिवस तथा 14 एवं 15 सितंबर, 2025 को 5वे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सम्मिलित आयोजन महात्मा मंदिर कन्वेंशन एवं एग्जिबिशन सेंटर, गांधी नगर, गुजरात में होगा।** प्रसंगवश, यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि राजभाषा विभाग की स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 26 जून, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में "राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह" का आयोजन किया गया। इसी उपलक्ष्य में एक अन्य सम्मेलन 11 जुलाई, 2025 को, जीएमसी बालयोगी इनडोर स्टेडियम, हैदराबाद में भी आयोजित किया गया। जिसमें देश भर से आए हिंदी सेवियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

3. आपसे अनुरोध है कि सितंबर माह के दौरान अपने मंत्रालय/विभाग में हिंदी माह/पखवाड़ा पूरे उत्साह से मनाएं। इस दौरान सभी अधिकारियों/कार्मिकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें कि वे अधिक से अधिक कामकाज मूलरूप से राजभाषा हिंदी में करें। इसी अवधि के दौरान, राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराएं। कृपया यह भी सुनिश्चित कराएं कि आपके मंत्रालय/विभाग के प्रत्येक कार्यालय में हिंदी दिवस का शुभारंभ 14 सितंबर 2025 को महात्मा मंदिर कन्वेंशन एवं एग्जिबिशन सेंटर, गांधी नगर, गुजरात में हो और समापन आपके कार्यालय आदि में हो।

4. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार, केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम, नियम तथा इनके अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए। इस अवधि के दौरान सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने सभी कार्मिकों को राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 सहित राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संघ की राजभाषा नीति से संबंधित जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाया जाए। सभी अधिकारियों/कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर जाकर हिंदी शब्द सिंधु, ई-पत्रिका पुस्तकालय एवं ई-सरल हिंदी वाक्यकोश

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

जैसे आईटी उत्पादों का भरपूर लाभ उठाएं। इसके अलावा अधिकारियों/कार्मिकों को, यदि अनुवाद टूल की आवश्यकता हो, तो स्मृति आधारित स्वदेशी अनुवाद सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ 2.0' के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

5. आपसे अनुरोध है कि अपने मंत्रालय/विभाग के राजभाषा से जुड़े अधिकारियों एवं मंत्रालय के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को गांधीनगर, गुजरात में होने वाले हिंदी दिवस एवं 5वे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होने का निर्देश दें। कृपया सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/बोर्डों/ निगमों आदि को भी ऐसे ही निर्देश मंत्रालय की ओर से जारी किए जाएं।

शुभेच्छु

अ आर्या

(अंशुली आर्या)

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव